कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक सः अ.छा.क./शु.मुक्ति सामान्य/2019–20/1127 दिनॉकः फरवरी 13, 2020

विषयः स्नातक कक्षाओं के सामान्य वर्ग के छात्रों को शैक्षिक वर्ष 2019–20 में शुल्क मुक्ति हेतु सूचना।

विश्वविद्यालय के स्नातक कक्षाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों से शिक्षण शुल्क मुक्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है जो इस कार्यालय से प्रत्येक कार्य दिवस में प्राप्त किये जा सकते है। शुल्क मुक्ति हेतु निम्नलिखित शर्ते हैः–

1. छात्र के अभिभावक की वर्ष 2019–20 की सकल वार्षिक आय रुपये 25000/– से अधिक न हो (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र वांछित)।
2. छात्र को किसी भी प्रकार का अस्थायी निष्कासन दंड ए.पी. अथवा सी.पी. का दंड न मिला हो।
3. शुल्क मुक्ति शैक्षिक वर्ष 2019–20 के प्रथम सत्र में पंजीकरण की तिथि से सत्र की अंतिम परीक्षा समाप्त होने की तिथि तक देय होगी।
4. वर्ष 2019 में प्रवेश लेने वाले नये छात्रों को दोनों षट्मासों का **SEMESTER REGISTRATION CARD** वर्ष 2019–20 की पुराने (पुराने बैच के) छात्रों की शैक्षिक वर्ष 2018–19 के दोनों षट्मासों की अंकतालिका (ग्रेड शीट) संलग्न करनी होगी।
5. आय का मूल प्रमाण पत्र वेतनभोगी अभिभावकों का सेवायोजकों से एवं निजी व्यवसाय का तहसीलदार अथवा परगनाधिकारी की सील एवं हस्ताक्षर सहित हो (संलग्न करना आवश्यक है)। 2019–120 की आय 31 मार्च 2020 तक की ही आवश्यक है।
6. आवेदन पत्र छात्र के सलाहकार/अधिष्ठाता द्वारा अग्रसारित होना आवश्यक है।
7. सभी प्रकार से पूर्ण भरे हुये आवेदन पत्र दिनॉक 25.03.2020 तक स्वीकार किये जायेगें। दिनॉक 25.03.2020 के उपरान्त कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा जिसका उत्तरदायित्व छात्र का स्वंय होगा।

(सलिल तिवारी)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपिः

1. समस्त महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त महाविद्यालयों के सूचना पटों, छात्रावासों, पुस्तकालय, कुलसचिव, नियंत्रक एवं छात्र कल्याण के सूचना पटों पर।
3. कुलसचिव।
4. प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाइट को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के सूचनार्थ।